

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एस-849/2017/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती संजू सारण, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (तत्कालीन परिवीक्षाधीन), खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड फलोदी/भोपालगढ़, जिला जोधपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 01.10.2011 से 07.11.2011 तक 38 दिवस का असाधारण अवकाश।
2. दिनांक 09.11.2011 से 11.12.2011 तक 33 दिवस का असाधारण अवकाश।
3. दिनांक 14.12.2011 से 07.03.2012 तक 85 दिवस का असाधारण अवकाश।
4. दिनांक 09.03.2012 से 14.05.2012 तक 67 दिवस का असाधारण अवकाश।

कार्मिका को उक्त अवधि 223 दिवस के असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने तथा 30 दिवस से अधिक 193 दिवस के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि बढ़ाई जाने की अनुमति राज्य सरकार की आई.डी. क्रमांक 1284 दिनांक 26.07.2017 के क्रम में जारी की जा रही है।

—२—  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एस-849/2017/ 1238

दिनांक:- 8/09/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 160/एम.ओ.एस./एम. एण्ड एच./17 दिनांक 31.07.2017 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 4777 Pr. Sec./M&H/2017 दिनांक 31.07.2017 के क्रम में।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 1284 दिनांक 26.07.2017 के क्रम में।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय एवं प्रभारी, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड फलोदी/भोपालगढ़ (जोधपुर)।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर